

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-16.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुरूप ।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक-25.08.2026 को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्ती कार्यवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है ।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 72 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं । सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है । कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है । समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:-

दिनांक-16.09.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यवाही संख्या - 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.08.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी ।

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	BR46P-6848 (21.03.2018) श्री मुनी लाल साह, पिता-स्व० जानकी साह, पता-महिसौड़ी चौक, जिला-जमुई ।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा । भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप । ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.05.27 फिटनेस-31.03.27 बीमा-09.05.27 प्रदूषण-27.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है ।
2	BR53P-2545 (12.02.2026) श्री भरत यादव, पिता- श्री सीतल यादव, पता-कमासी, जिला-शेखपुरा ।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3089, शेखपुरा से लखीसराय । भाया-गिरिहिण्डा चौक, ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेस-11.02.28 बीमा-09.02.27 प्रदूषण-11.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है ।
3	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता-श्री राम चन्द्र सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय ।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी । भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला । ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-20.11.26 फिटनेस-07.05.27 बीमा-30.03.27 प्रदूषण-06.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह वाहन सं०-BR10PB-9094 का कहना है कि दिनांक-25.08.2026 की बैठक में आवेदनकर्ता श्री मुक्ति नाथ द्वारा आवेदन में मार्ग की दूरी 89 किमी० लिखा गया था। टोटल मार्ग की दूरी को जोड़ने के बाद 103 किमी० बेगूसराय से अगुवानी एक ट्रिप में होती भी तो 04 ट्रिप में 412 किमी० होती भी इन्होंने 04 ट्रिप में 356	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी में निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता


अपर समाह्वी-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

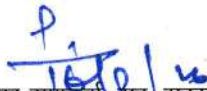
			किमी० लिखे में इस बिन्दु पर आपत्ति लगाई गई भी इनके समय-सारणी में कोई आपत्ति नहीं लगाई गई भी। प्राधिकार की निर्णय हुई संशोधित करके दूबारा आवेदन करें। इस बार इन्होंने द्वितीय पाली में मड़ैया प्रस्थान समय 10:30, जमालपुर प्रस्थान समय 11:01 किए हैं जबकि दि०-25.08.2026 की बैठक में मड़ैया प्रस्थान समय 10:32, जमालपुर प्रस्थान समय 10:48 भी मेरे वाहन सं०-BR10PB-9094 का मड़ैया प्रस्थान समय 10:30 है तो वरियता के हिसाब से मेरा आवेदन सं०-51 है। उनका आवेदन सं०-64 है। 1. इन्होंने 1500 रुपये का चालान जमा नहीं किए हैं और समय-सारणी का मड़ैया एवं जमालपुर में द्वितीय पाली में चेंज किए हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि क्रमांक सं० का वरियता एवं 1500 रुपये के चालान के बिना समय-सारणी की बदलाव करने की स्थिति में इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय।	मरैया प्र० 10:30 10:30 (सेम समय) जमालपुर प्र० 11:01 10:46 (15 मिनट पीछे) ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की बैठक दि०-25.08.2026 में दूरी संबंधित संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया गया था। परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेश का पालन न करते हुए मध्य बिन्दु में अनाधिकृत संशोधन कर दिया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा किये गये अनाधिकृत संशोधन के कारण मड़ैया प्रस्थान समय 10:30 पर आपत्तिकर्ता के समय से सेम टकराव है। चूँकि आपत्तिकर्ता भी इस बैठक हेतु आवेदनकर्ता हैं, जिनका आवेदन क्रम सं०-54 पर उपस्थापित है, जिसे आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में स्वीकृति का प्रस्ताव है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। चूँकि आवेदनकर्ता को दूरी संबंधित संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु दि०-25.08.2026 की सम्पन्न बैठक में एक मौका दिया जा चुका है। अतः मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्ता के परमिट आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
--	--	--	--	---

कार्यवाही संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
4	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-27.11.26 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
5	BR09PA-8164 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-08.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


अपर समाहिता सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

6	BR09PA-8538 (20.09.2023) श्रीमती बुलबुल देवी पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015 अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-19.09.27 बीमा-24.01.27 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
7	BR09M-5982 (07.10.2013) श्री बिनीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-06.10.26 फिटनेश-15.12.26 बीमा-12.11.26 प्रदूषण-10.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR06PC-9933 का कहना है कि आवेदनकर्ता अपने वाहन का परमिट बेगूसराय से बखरी मार्ग पर आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता अंतिम ट्रिप में 21:15 के समय-सारणी में बखरी से प्रस्थान के स्थान पर बेगूसराय का उल्लेख किये हैं। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण समय-सारणी के आधार पर परमिट की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता के समय-सारणी के अंतिम ट्रिप में 21:15 के समय-सारणी में बखरी के स्थान पर बेगूसराय लिखे जाने संबंधित आपत्ति की गई है। कार्यालय समीक्षोपरान्त पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी के अनुरूप आवेदन नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि मार्ग बेगूसराय से बखरी में चतुर्थ ट्रिप की कटौती करने से आपत्ति अमान्य हो जायेगा। चतुर्थ ट्रिप की कटौती कर परमिट निर्गत करने की कृपा की जाय। अतः आवेदनकर्ता से प्राप्त आवेदन के आलोक में चतुर्थ ट्रिप की कटौती कर परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
8	BR09PA-9171 (06.04.2024) श्रीमती बिनीता कुमारी पति-श्री रंजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01(01 अप 01 डा0)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
9	BR09PA-8529 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता-श्री राम नंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


अपर सहायक-सह-संयोजक,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

10	BR09PA-8162 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-09.04.27 प्रदूषण-24.05.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
11	BR09PA-9543 (04.12.2024) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-03.11.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-19.12.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
12	BR09PA-9783 (14.02.2025) श्रीमती बुलबुल देवी पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूँट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-09.11.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-10.02.27 प्रदूषण-16.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
13	BR09PA-9161 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूँट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-15.06.28 बीमा-14.04.27 प्रदूषण-11.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR09M-3171 का कहना है कि आवेदनकर्ता श्रीमती सुनीता देवी अपने वाहन सं0-BR09PA-9161 के परमिट के लिए आवेदन किये हैं। वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन माध्यम से जो टैक्स की राशि जमा की गयी है, वह निबंधन के समय जमा की गयी राशि से कम है। वाहन स्वामी द्वारा कागजात में छेड़छाड़ कर निर्धारित रकम से कम राशि टैक्स के रूप में जमा किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा पत्रांक-2998, दि0-25.05.2026 द्वारा इस कार्यालय को श्रीमान् के पत्रांक 212/परि0, दि0-04.05.2026 के आलोक में प्रतिवेदित किया गया कि वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदित वाहन पर टैक्स संबंधी आपत्ति की गई है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा Semi Deluxe Service में टैक्स अद्यतन किया गया है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। अतः मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आवेदनकर्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				ऑनलाईन के माध्यम से जो टैक्स की राशि जमा की गयी है, वह निबंधन के समय जमा की गयी टैक्स की राशि से कम है। पुनः श्रीमान् के द्वारा पत्रांक-296/परि०, दि०-04.06.2026 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को निर्देश दिया गया कि वाहन स्वामी द्वारा टैक्स जमा करने में अनियमितता की जा रही है जो एक अत्यंत ही गंभीर मामला है। ऑनलाईन प्रदर्शित टैक्स की राशि और वास्तविक देय राशि में अन्तर का विस्तृत समीक्षा करते हुए नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। वाहन स्वामी द्वारा टैक्स में देय राशि जिला परिवहन कार्यालय में जमा नहीं किया गया। आवेदनकर्ता टैक्स डिफाल्टर है। अतः आवेदनकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	
14	BR09PA-9172 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेटोस्टे० से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-18.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
15	BR09PB-0975 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रेटोस्टे० से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


 अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

16	BR09PA-9168 (06.04.2024) श्री रंजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-23.06.28 बीमा-21.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
17	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.09.26 फिटनेश-24.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-30.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
18	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामां, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.09.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
19	BR09PB-0976 (17.03.2026) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता-श्री विद्यासागर सिंह, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170 डाउन, बेगूसराय से कबेला। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता एवं नयागोंव। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
20	BR09PB-0974 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबेला, नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


 अपर समाहती-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

21	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
22	BR08P-5755 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
23	BR21P-7674 (26.06.2021) श्री रूपेश कुमार, पिता-श्री संजय सिंह, पता-शकलदेव नगर कुसेरी, बरबीघा फाजाबाद, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3234 डाउन, रामचन्द्रपुर बिहार शरीफ से महुली। भाया-बरबीघा एवं शेखपुरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-26.09.26 फिटनेश-01.09.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-07.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
24	BR9F-6189 (31.07.2009) श्री राजीव कुमार रंजन, पिता-श्री रविन्द्र सिंह, पता-रजौरा, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बरखडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.11.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-08.06.27 प्रदूषण-08.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
25	BR09PA-6689 (03.09.2021) श्री अजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-17.09.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-31.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


अपर सहायक-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

26	BR08P-5759 (31.08.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, श्री अमरजीत कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
27	BR09PA-9544 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगौवा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01(01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.11.26 बीमा-18.11.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
28	BR09PB-0978 (17.03.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागौवा, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR06PA-9840 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 12:05 12:07 आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी बेगूसराय में 02 मिनट का अन्तराल है। बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 02 मिनट का अन्तराल होने से वाहन परिचालन में दिक्कत होगी। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी को ओवरटेक कर अपने वाहन का प्रस्तावित समय-सारणी दिये हैं।	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 12:05 12:07 (02 मिनट आगे) उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी एवं आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी में बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 02 मिनट पहले का समय-सारणी दिया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आपत्तिकर्ता का परमिट दिनांक-19.05.2023 को नवीनीकरण (Renewal) के समय ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज तो कर दिया गया, परन्तु ऑनलाईन परमिट के साथ समय-सारणी को ऑनलाईन दर्ज नहीं करायी गयी है। परमिट के ऑनलाईन समय-सारणी की भाया एवं ऑफलाईन समय-सारणी के भाया में स्पष्ट भिन्नता है। आवेदनकर्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है बेगूसराय प्रस्थान समय 12:05 के स्थान


अपर सहायक-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

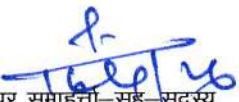

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					पर 12:02 कर देने से आपत्तिकर्ता का आपत्ति अमान्य हो जायेगा। अतः अनुरोध है कि मुख्य बिन्दु बेगूसराय प्रस्थान समय 12:05 के स्थान पर 12:02 कर परमिट निर्गत करने की कृपा की जाय। अतः आवेदनकर्ता से प्राप्त आवेदन के आलोक में मुख्य बिन्दु बेगूसराय प्रस्थान समय 12:05 के स्थान पर 12:02 पर सशर्त परमिट की स्वीकृत दी जाती है कि यदि कार्यवाही प्रकाशन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर किसी वाहन स्वामी द्वारा उक्त संशोधित प्रस्थान समय पर आपत्ति प्राप्त होती है तो परमिट आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा।
29	BR01PT-8972 (04.02.2016) श्री भानू प्रताप, पिता-श्री रवि शंकर, पता-खेतलपुरा, सारे, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524, वार्सलीगंज से बरबीघा। भाया-शाहपुर मोड़ एवं शेखोपुर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-06.07.27 फिटनेश-20.02.27 बीमा-03.02.27 प्रदूषण-06.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
30	BR9D-6731 (23.12.2006) श्रीमती आभा देवी, पति-श्री राज किशोर राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3107, हसनपुर से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.12.26 फिटनेश-23.12.26 बीमा-30.08.27 प्रदूषण-14.09.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री ब्रजेश कुमार, वाहन सं०-BR09PB-0842 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आग० प्रस्थान आग० प्रस्थान गढ़पुरा 08:13 08:18 08:14 08:19 मंझौल 09:05 09:07 09:06 09:08 बेगूसराय 09:44 15:51 09:45 09:55 मंझौल 16:45 16:47 16:46 16:48 गढ़पुरा 17:24 17:27 17:25 17:28 हसनपुर 17:59 - 18:00 - अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3107 हसनपुर से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3105 कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता गढ़पुरा प्र० 08:18 08:19 (01 मिनट आगे) मंझौल प्र० 09:07 09:08 (01 मिनट आगे) मंझौल प्र० 16:47 16:48 (01 मिनट आगे) गढ़पुरा प्र० 17:27 17:28 (01 मिनट आगे) हसनपुर आ० 17:59 18:00 (01 मिनट आगे) उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से 01 मिनट पहले का समय-सारणी दिया गया है। परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


 अपर समाहता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

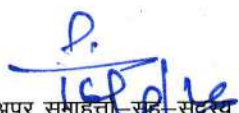

 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

31	BR06PF-8311 (26.03.2021) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-श्री संजय कुमार, पता-गोरगामा, गुरुगावन, मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-25.09.26 फिटनेश-25.03.27 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-01.05.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
32	BR09PA-6809 (27.08.2018) श्री रंजन कुमार, पिता-श्री देव ना0 प्रसाद सिंह, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.26 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-06.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
33	BR09PA-6807 (27.08.2018) श्री राज कुमार पिता-श्री बब्लु कुमार सिंह, पता-शाहपुर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.26 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-12.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
34	BR08P-5564 (15.02.2025) श्री अंकज कुमार, पिता-पारसनाथ सिंह, पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-13.11.26 फिटनेश-14.02.27 बीमा-13.02.27 प्रदूषण-12.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।


 अपर समाहती-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

35	BR09PA-8768 (24.11.2023) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-संजय कुमार, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-23.11.26 फिटनेश-23.11.27 बीमा-09.11.26 प्रदूषण-22.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
36	BR08P-5489 (17.10.2024) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-संजय कुमार, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-09.10.26 फिटनेश-16.10.26 बीमा-10.10.26 प्रदूषण-16.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
37	BR11PC-9255 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के0 हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-05.11.26 फिटनेश-01.02.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-16.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0-BR53P-5165 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है और मेरे वाहन के आगे-पीछे वाहन स्वामी श्री राहुल कुमार, वाहन सं0-BR11PC-9255 का समय-सारणी के लिए आवेदन किए हैं। जबकि प्राधिकार का नियम मध्य बिन्दु पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव नहीं होगा और वाहन स्वामी द्वारा रामगढ़ और हलसी में मध्य बिन्दु पर प्रति ट्रिप अप एवं डाउन 10 (दस) से 15 (पंद्रह) मिनट का ठहराव दिये हैं जो नियम के विरुद्ध है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णियाँ जिला है और तंग करने की नियम से हमारे लोकल गाड़ी लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी में मुख्य बिन्दु पर प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन नहीं किया गया है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता अपने प्रस्तावित समय-सारणी में मुख्य बिन्दु पर प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। अतः मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्ता को अगली बैठक में मुख्य बिन्दु के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन करने संबंधित संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।


अपर समाहता-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

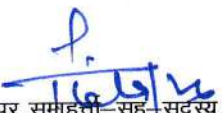

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

38	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-19.06.27 फिटनेश-27.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-07.12.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।																		
39	BR11PC-9455 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के0 हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.11.26 फिटनेश-01.02.27 बीमा-19.04.27 प्रदूषण-16.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0-BR53A-8011 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। मेरे उक्त वाहन के 02 (दो) मिनट आगे-आगे वाहन स्वामी श्री राहुल कुमार, वाहन सं0-BR11PC-9455 का लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं, जो समय-सारणी निम्न प्रकार है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0 05:28</td><td>05:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0 07:18</td><td>07:20</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0 09:28</td><td>09:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0 11:53</td><td>11:55</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0 14:13</td><td>14:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0 16:21</td><td>16:23</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0 18:13</td><td>18:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0 19:28</td><td>19:30</td></tr></table> और सभी मध्य बिन्दु पर भी 02 मिनट का अन्तराल है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णियाँ जिला है और तंग करने की नियत से हमारे लोकल बस के आगे लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	लखीसराय प्र0 05:28	05:30	सिकन्दरा प्र0 07:18	07:20	लखीसराय प्र0 09:28	09:30	सिकन्दरा प्र0 11:53	11:55	लखीसराय प्र0 14:13	14:15	सिकन्दरा प्र0 16:21	16:23	लखीसराय प्र0 18:13	18:15	सिकन्दरा प्र0 19:28	19:30	➤ आवेदनकर्ता द्वारा अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																						
लखीसराय प्र0 05:28	05:30																						
सिकन्दरा प्र0 07:18	07:20																						
लखीसराय प्र0 09:28	09:30																						
सिकन्दरा प्र0 11:53	11:55																						
लखीसराय प्र0 14:13	14:15																						
सिकन्दरा प्र0 16:21	16:23																						
लखीसराय प्र0 18:13	18:15																						
सिकन्दरा प्र0 19:28	19:30																						
40	BR06PC-5310 (18.03.2015) श्री दिलीप कुमार, पिता-श्री राम नारायण सिंह, पता-महमदपुर दामोदर, सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-20.02.27 फिटनेश-05.06.27 बीमा-05.05.27 प्रदूषण-11.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।																		

अपर समाहर्ता सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

41	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता—श्री रामनंदन सिंह पता—पहंसार, नौवकोठी, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3170, कबेला से बेगूसराय। भाया—नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—05.09.26 फिटनेश—16.06.28 बीमा—16.05.27 प्रदूषण—11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
42	BR09PA-6406 (17.04.2021) श्री पिकू कुमार सिंह, पिता—राम पदारथ सिंह, पता—पन्हास, सुहिर्द नगर, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया—भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप—01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स—25.09.26 फिटनेश—16.04.27 बीमा—24.03.27 प्रदूषण—26.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
43	BR11PD-8145 (19.05.2026) श्री राज किशोर सिंह, पिता—श्री देवानंद सिंह, पता—गुआगाछी हेमकुंज, अमदाबाद जिला—कटिहार।	प्रकाशन—02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—78, मुंगेर से सिकन्दरा। भाया—सूर्यगढ़ा एवं लखीसराय। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—29.09.26 फिटनेश—18.05.28 बीमा—15.05.27 प्रदूषण—18.05.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री चंचल कुमार, वाहन सं०—BR53B-1164 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। उक्त वाहन के समय—सारणी के आगे वाहन स्वामी श्री राज किशोर सिंह, वाहन सं०—BR11PD-8145 का परमिट आवेदन मुंगेर से सिकन्दरा मार्ग पर किये हैं जो कि सिकन्दरा में मेरे वाहन के समय—सारणी से 02 मिनट आगे आवेदन किये हैं जबकि उक्त वाहन का सूर्यगढ़ा से लखीसराय स्टैण्ड की दूरी 22 किमी० समय 33 मिनट में तय करते हैं। जबकि लखीसराय बाजार में एक घंटा में भी गाड़ी को तय करना मुश्किल है। लखीसराय वायपास पुल बंद रहने के कारण लखीसराय बाजार में स्कूल बस और ऑटो-टोटो चलने के कारण बहुत जाम रहता है। वायपास पुल बन्द होने के बाद जिला पदाधिकारी महोदय लखीसराय द्वारा बाजार में बड़े वाहन के परिचालन पर रोक लगाया गया है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि लखीसराय जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच कराकर और जब तक लखीसराय वायपास पूर्ण रूप से परिचालित नहीं हो जाय तब तक लखीसराय बाजार होकर परिचालन	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 78 मुंगेर से सिकन्दरा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा समय—सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा सूर्यगढ़ा से लखीसराय स्टैण्ड की दूरी 22 किमी० 33 मिनट तय करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि गतिशीलता का उल्लंघन नहीं है। अतः मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।


अपर समाहसी—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				करने वाले वाहन का परमिट निर्गत नहीं की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अमारी रहूँगा।	
44	BR09PA-9827 (05.03.2025) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता-विद्यासागर सिंह, पता-गोरगामा, नयागाँव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगाछिया जीरोमाईल, धाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-26.11.26 फिटनेश-04.03.27 बीमा-27.02.27 प्रदूषण-08.03.27	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
45	BR34P-3549 (21.06.2016) श्री राजन कुमार, पिता- श्री नीरज कुमार सिंह पता-खम्हर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुर। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-20.03.27 फिटनेश-26.03.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-25.03.27	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
46	BR09GA-7811 (22.08.2017) श्री सन्नित कुमार, पिता-श्री सुनील कुमार सिंह, पता-नवादा, चौथम, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया-महेशखूंट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-21.11.26 फिटनेश-20.08.27 बीमा-24.08.27 प्रदूषण-06.12.26	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
47	BR10PB-9302 (19.09.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता-श्री लड़ू प्रसाद सिंह, पता-गोगरी, जमालपुर अगुवानी, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-18.09.26 फिटनेश-18.04.28 बीमा-26.09.26 प्रदूषण-05.10.26	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
48	BR21H-3071 (07.10.2012) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री माराकंड प्रसाद सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-06.10.26 फिटनेश-02.08.27 बीमा-24.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0-BR01PP-9783 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 03:35 03:41 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में 06 मिनट	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता के आवेदित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 03:35 03:41 (06 मिनट आगे) आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में 05 मिनट के अन्तराल

अपर सहायक-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

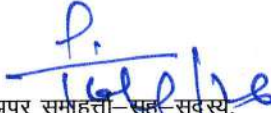
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			का अन्तराल है। बेगूसराय से बरबीघा की कुल दूरी 69 किमी० है। वाहन स्वामी चार अप चार डाउन के परमिट का आवेदन किये हैं। वाहन स्वामी द्वारा 560 किमी० वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वाहन स्वामी का वाहन 13 वर्ष 10 महिना पुराना है। 13 साल 10 महिना पुराना वाहन को 560 किमी० दूरी तय करने का परमिट नहीं दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं। बेगूसराय से हथिदाह की दूरी 28 किमी० वाहन स्वामी 27 मिनट में तय कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्ता अपने समय-सारणी में पड़ाव पर ठहराव में लगने वाले समय का उल्लेख नहीं किया है। आवेदनकर्ता हथिदाह से 18:55 में प्रस्थान कर बेगूसराय 19:21 में आगमन करते हैं। इस प्रकार वाहन स्वामी 28 किमी० की दूरी 26 मिनट में तय करते हैं जो गतिसीमा का उल्लंघन है।	से अधिक है, जो पर्याप्त है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी में 560 किमी० की दूरी तय करने संबंधी आपत्ति की गई है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता का आवेदित वाहन 13 वर्ष 10 माह पुरानी है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना (उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) का पत्रांक-7908, दि०-25.10.2019 के आलोक में वाहनों की आयु के अनुरूप प्रतिदिन अधिकतम परिचालन दूरी का निर्धारण किया गया है। उक्त स्वीकृत नियमावली की सारणी के बिन्दु (iii) के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाले वाहनों के लिए प्रतिदिन अधिकतम परिचालन दूरी केवल 400 किमी० निर्धारित है। चूंकि आवेदक का वाहन 13 वर्ष 10 माह पुरानी है (जो 10 से 15 वर्ष की श्रेणी में आता है), इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन करते हुए $140 \times 4 = 560$ किमी० का परिचालन (04 अप 04 डाउन) विभागीय दिशा-निदेश के अनुसार दैनिक परिचालन हेतु पात्रता नहीं रखती है। साथ ही गतिसीमा उल्लंघन संबंधित आपत्ति की गई है। कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त मार्ग पर वास्तविक दूरी 26 किमी० है जिसे 26 मिनट में ही तय किया जा रहा है। यह परिचालन 60 किमी/घंटा की नियमानुकूल औसत गति के अन्तर्गत आता है। अतः गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। आवेदनकर्ता के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता एवं आवेदनकर्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि वाहन की आयु 13 वर्ष 10 माह पुरानी होने की स्थिति में मार्ग बेगूसराय से बरबीघा में द्वितीय एवं चतुर्थ ट्रिप की कटौती कर परमिट निर्गत करने से आपत्तिकर्ता का आपत्ति अमान्य हो जायेगा। अतः प्रस्तावित समय-सारणी में द्वितीय एवं चतुर्थ ट्रिप की कटौती कर प्रथम एवं तृतीय ट्रिप पर परमिट निर्गत करने की कृपा की जाय। अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में वाहन की आयु 13 वर्ष 10 माह पुरानी
--	--	--	---	--


 अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

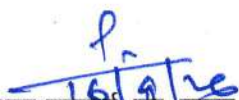

 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					होने की स्थिति में मार्ग बेगूसराय से बरबीघा में द्वितीय एवं चतुर्थ ट्रिप की कटौती कर प्रथम एवं तृतीय ट्रिप पर परिचालन हेतु परमिट की स्वीकृत दी जाती है।
49	BR34P-7883 (30.06.2026) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-तृपि नारायण सिंह, पता-नयागॉव, जोराबारपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-28.09.26 फिटनेश-29.06.28 बीमा-28.06.27 प्रदूषण-29.06.27	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
50	BR06PA-3222 (05.08.2010) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-श्री फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-04.11.26 फिटनेश-21.01.27 बीमा-31.10.26 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त	आपति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
51	BR08P-5588 (10.03.2025) श्रीमती मीनू देवी, पति-पिकेश कुमार सिंह, पता-सतखुट्टी नयागॉव, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-25.11.26 फिटनेश-09.03.27 बीमा-05.03.27 प्रदूषण-19.03.27	अप्राप्त	➤ आवेदनकर्ता द्वारा अपना परमिट आवेदन वापस ले ली गयी है।
52	BR21P-4704 (02.02.2019) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेश-03.08.28 बीमा-29.11.26 प्रदूषण-01.08.27	➤ आपतिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं०-BR01PT-3099 का कहना है कि आवेदनकर्ता परमिट बिना प्रत्यर्पित किये फिर से आवेदन किये हैं। इन्होंने दो बार प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.07.2026 और 25.08.2026 के बैठक में अस्वीकृत हुआ है। फिर भी ये आवेदन वापस लेकर दो बार से नया आवेदन कर रहे हैं। प्राधिकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। इनकी प्रस्तावित समय-सारणी मेरे गाड़ी के आगे-आगे 05 मिनट पहले जानबुझकर लिए हैं। हमें परमिट उठाये 02 दिन भी नहीं हुआ है और ये हमारे आगे 05 मिनट पहले उठा रहे हैं। जबकि इस मार्ग पर भी मात्र 08 गाड़ी के परमिट उठे हैं जिनके 06 गाड़ी इन्हीं का है। ये ही आवेदन करते हैं और जानबुझकर अगले को जिनकी पास एक या दो गाड़ी है	➤ आवेदनकर्ता एवं आपतिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्ता एवं आपतिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपतिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है:- पहली पाली आवेदनकर्ता आपतिकर्ता बेगूसराय प्र० 06:22 06:28 (06 मिनट पहले) हथिदाह प्र० 06:53 06:56 (03 मिनट पहले) मोकामा प्र० 07:07 07:10 (03 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 07:34 07:43 (09 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 07:50 08:16 (26 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 08:06 08:30 (24 मिनट पहले) दूसरी पाली


अपर समाहर्ता-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			उसको चलने नहीं देना चाहते हैं। ये सब गाड़ी जय मों महारानी बैनर तले चलती है। इनके पास 20-25 गाड़ी है। सब इनके नाम पर इनके पति के नाम पर माताजी के नाम पर स्टॉफ के नाम पर इसकी जॉब आप करवा लें। अतः श्रीमान् इस पर उचित कार्रवाई करें। वाहन सं०-BR21P-4704 के प्रस्तावित समय-सारणी निम्न है :- पहली पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 06:22 06:28 (06 मिनट पहले) हथिदाह प्र० 06:53 06:56 (03 मिनट पहले) मोकामा प्र० 07:07 07:10 (03 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 07:34 07:43 (08 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 07:50 08:16 (16 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 08:06 08:30 (14 मिनट पहले) दूसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 09:31 09:47 (12 मिनट पहले) मोकामा प्र० 10:03 10:15 (10 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 11:00 11:17 (07 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 11:17 11:34 (17 मिनट पहले) तीसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 16:10 16:15 (05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 16:45 16:50 (05 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 18:20 18:25 (05 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 18:38 18:42 (07 मिनट पहले) गाड़ी का 05 अप 05 डाउन का उठाव कर लेते हैं और गाड़ी का परिचालन मात्र 02 अप 02 डाउन ही होता है और इस समय-सारणी पर दूसरे गाड़ी को परिचालन करते हैं। अतः इस पर उचित कार्यवाही	आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 09:31 09:47 (16 मिनट पहले) मोकामा प्र० 10:03 10:15 (12 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 11:00 11:17 (17 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 11:17 11:34 (17 मिनट पहले) तीसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 16:10 16:15 (05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 16:45 16:50 (05 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 18:20 18:25 (05 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 18:38 18:42 (04 मिनट पहले) कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में 03 से 17 का अन्तराल है, जो पर्याप्त है। चूंकि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में एवं पर्याप्त अन्तराल रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
--	--	--	---	---


 अपर समाहर्ता सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				कर एक ही गाड़ी परिचालन करने को हुआ जाय।	
53	BR09PA-8166 (06.04.2023) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंडौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-01.05.27 प्रदूषण-03.05.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
54	BR10PB-9094 (12.07.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता-श्री लख्खू प्रसाद सिंह, पता-गोगरी जमालपुर, अगुवानी, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-10.10.26 फिटनेश-01.04.28 बीमा-25.11.26 प्रदूषण-07.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
55	BR52P-0959 (16.01.2020) श्री सर्वजीत कुमार, पिता-श्री अनिल प्रसाद सिंह, पता-रामपुर सिंड़िये, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-18.11.26 फिटनेश-29.07.28 बीमा-20.07.27 प्रदूषण-20.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं०-BR21K-1811 का कहना है कि मैं आपके प्राधिकार से 02 दिन पहले दि०-29.08.2026 को परमिट का उठाव किया हूँ। वाहन सं०-BR52P-0959 जानबुझकर मेरे 05 मिनट पहले परमिट का आवेदन कर रहे हैं। इनके पास 20-25 गाड़ी है तो जानबुझकर 01-02 गाड़ी वाले को तंग करते हैं। इनकी आवेदन प्राधिकार की बैठक दि०-25.08.2026 को वापस किया गया। क्योंकि बिना परमिट प्रत्यर्पित किये हुए। ये फिर से नया आवेदन किये हैं। ये जानबुझकर प्राधिकार का समय बर्बाद करते हैं। प्राधिकार को गुमराह करते हैं। कभी जाली बीमा देकर बिना परमिट प्रत्यर्पित किये हुए आवेदन करते हैं। इसकी जाँच VLTD द्वारा करवाई जाय। पहली पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 07:55 08:01 (05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 08:41 08:45 (04 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 09:45 09:52 (06 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 10:05 10:12 (07 मिनट पहले) दूसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 11:45 11:51	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है:- दूसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बरबीघा प्र० 06:15 06:20 (05 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 06:35 06:40 (05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 07:07 07:15 (05 मिनट पहले) तीसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 07:55 08:01 (06 मिनट आगे) मोकामा प्र० 08:41 08:45 (04 मिनट आगे) बरबीघा प्र० 09:45 09:52 (07 मिनट आगे) सरमेरा प्र० 10:05 10:12 (07 मिनट आगे) पांचवीं पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 11:45 11:51 (06 मिनट आगे) मोकामा प्र० 12:31 12:35 (04 मिनट आगे) सातवीं एवं आठवीं पाली

अपर सहायक सड़क एवं,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सड़क-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				(05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 12:31 12:35 (04 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 09:52 09:45 (06 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 10:05 10:12 (07 मिनट पहले) तीसरी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बरबीघा प्र० 06:15 06:20 (05 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 06:35 06:40 (05 मिनट पहले) मोकामा प्र० 07:07 07:15 (05 मिनट पहले) चौथी पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 15:51 15:56 (04 मिनट पहले) मोकामा प्र० 16:26 16:23 (02 मिनट पीछे) सरमेरा प्र० 17:05 17:17 (10 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 17:50 17:58 (07 मिनट पहले) सरमेरा प्र० 18:10 18:18 (07 मिनट पहले) ये जानबुझकर 05 मिनट पहले डालते हैं। इनके पास 20-22 गाड़ी है और ये एक से दो गाड़ी वाले को तंग करते हैं।	आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 15:51 15:56 (05 मिनट आगे) हथिदाह प्र० 16:23 16:26 (03 मिनट आगे) सरमेरा प्र० 17:05 17:17 (12 मिनट आगे) बरबीघा प्र० 17:50 17:58 (08 मिनट आगे) सरमेरा प्र० 18:10 18:18 (07 मिनट आगे) कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के मध्य बिन्दु में 02 से 12 मिनट का अन्तराल है, जो पर्याप्त है। चूँकि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। मार्ग संख्या समान रहने एवं पर्याप्त अन्तराल रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः आवेदनकर्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
56	BR01PK-6090 (28.03.2019) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3104, ठठेरवा से बेगूसराय। भाया-बिथान, हसनपुर, गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-14.07.27 फिटनेश-26.03.28 बीमा-15.03.27 प्रदूषण-01.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं०-BR09H-0975 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता हसनपुर प्र० 07:40 07:41 गढ़पुरा प्र० 08:26 08:27 वाहन स्वामी श्री ब्रजेश कुमार का उपरोक्त वर्णित मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत है। ठठेरवा और विथान में पूर्व से निर्गत परमिट का समय-सारणी है तथा हसनपुर और गढ़पुरा में आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के 01 मिनट पूर्व का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता दोनों के मार्ग का 75% भाग समान है। आवेदनकर्ता विथान से हसनपुर की दूरी 30 मिनट में तय करते हैं। पुनः	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3104 ठठेरवा से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3107 हसनपुर से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है:- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता हसनपुर प्र० 07:40 07:41 (01 मिनट आगे) गढ़पुरा प्र० 08:26 08:27 (01 मिनट आगे) उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से 01 मिनट पहले का समय-सारणी दिया गया है। परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है।


अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				विधान से 12:35 में प्रस्थान कर हसनपुर 12:50 में आगमन करते हैं। इस प्रकार हसनपुर से विधान की दूरी प्रथम पाली में 30 मिनट तथा दूसरे पाली में 15 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्ता ने अपने प्रस्तावित समय-सारणी में मार्ग में वर्णित दूरी का उल्लेख नहीं किया है। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण समय-सारणी के आधार पर परमिट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्ता का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
57	BR21P-2524 (29.11.2015) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआडीह, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-29.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0-BR01PT-3099 का कहना है कि आवेदनकर्ता, वाहन सं0-BR21P-2524 का बिना परमिट प्रत्यर्पित किये बिना फिर से आवेदन किये हैं। ये गाड़ी परमिट से आवृत्त है जो कि दि0-25.08.2026 के प्राधिकार के बैठक में रिजेक्ट किया गया। ये फिर से आवेदन किये हैं जो कि प्राधिकार के समय को बर्बाद करते हैं और प्राधिकार को गुमराह करते हैं। आवेदन को वापस लेकर मात्र 1500 रुपये का चालान लगता है। समय-सारणी संशोधित मॉगने पर ऐ आवेदन वापस ले लेते हैं और नया आवेदन कर देते हैं। हमारी वाहन की परमिट आपके प्राधिकार से दो दिन पहले उठाव किये हैं और ये हमारे परमिट के आगे 05 मिनट पहले समय-सारणी डाल दिये हैं। इनके और इनके पति और स्टॉफ से अनेकों गाड़ी है तो 01 से 02 गाड़ी वाले को परेशान करते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 09:41 09:47 (05 मिनट पहले) हथिदाह प्र0 10:12 10:15 (02 मिनट पहले) मोकामा प्र0 10:26 10:30 (03 मिनट पहले) बरबीघा प्र0 11:12 11:17 (04 मिनट पहले) अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इसकी आवेदन अस्वीकृत कि जाय।	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है:- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 09:41 09:47 (06 मिनट पहले) हथिदाह प्र0 10:12 10:15 (03 मिनट पहले) मोकामा प्र0 10:26 10:30 (04 मिनट पहले) बरबीघा प्र0 11:12 11:17 (05 मिनट पहले) कार्यालय समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के मध्य बिन्दु में 03 से 06 मिनट का अन्तराल है, जो पर्याप्त है। चूँकि आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने एवं समय-सारणी में पर्याप्त अन्तराल रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। आवेदनकर्ता के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता एवं आवेदनकर्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि वाहन की आयु 10 वर्ष 10 माह पुरानी होने की स्थिति में मार्ग बेगूसराय से बरबीघा में प्रथम ट्रिप की कटौती कर द्वितीय एवं तृतीय ट्रिप पर पंचालन हेतु परमिट निर्गत करने से आपत्तिकर्ता का आपत्ति अमान्य हो जायेगा। अतः प्रस्तावित समय-सारणी में प्रथम ट्रिप की कटौती कर द्वितीय एवं तृतीय ट्रिप पर परमिट निर्गत करने की कृपा की


 अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					जाय। अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में वाहन की आयु 10 वर्ष 10 माह पुरानी होने की स्थिति में मार्ग बेगूसराय से बरबीघा में प्रथम ट्रिप की कटौती कर द्वितीय एवं तृतीय ट्रिप पर परिचालन हेतु परमिट की स्वीकृत दी जाती है।
58	BR09R-6675 (07.11.2015) श्रीमती सुधा सिंह, पति-श्री मुक्ति नाथ सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-06.11.26 फिटनेश-01.04.27 बीमा-18.05.27 प्रदूषण-08.05.27	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती संध्या कुमारी, वाहन सं०-BR06PF-1247 का कहना है कि मेरी वाहन का परमिट मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्राप्त एवं परिचालित है। आवेदनकर्ता श्रीमती सुधा सिंह, वाहन सं०-BR9R-6675 के द्वारा जानबुझकर बेगूसराय से प्रस्थान 14:38 दिये हैं जो समान मार्ग संख्या 3225 है, प्राधिकार के नियम के मुताबिक 05 मिनट 02 मिनट का उल्लंघन एवं ओवरटेक भी है। पीछे खुलकर महेशखूंट पीछे हो जाते हैं जो निम्न है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 14:38 14:40 (02 मिनट आगे) महेशखूंट प्र० 16:46 16:45 (01 मिनट पीछे) नौगछिया जीरोमाईल प्र० 18:03 18:04 (01 मिनट आगे) अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आवेदनकर्ता के समय-सारणी से स्पष्ट है कि जानबुझकर प्राधिकार के नियम का उल्लंघन किये हैं जो उचित नहीं है एवं 05 मिनट 02 का प्राधिकार के नियम के विरुद्ध आवेदन किये हैं। परमिट आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	➤ आपत्तिकर्ता द्वारा अपना आपत्ति वापस ले लिया गया है। ➤ अतः आपत्ति वापस लेने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
59	BR19P-7549 (24.07.2018) श्री विवेक यादव, पिता-श्री योगेन्द्र यादव, पता-नौरंगा, केशवनगर, चौथम, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045, आलमनगर से खगड़िया। भाया-बेलदौर, सोनवर्षा घाट,, उसराहा (इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-23.07.27 फिटनेश-17.10.26 बीमा-06.10.26 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

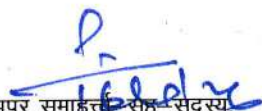
अपर समाहता सह सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यवाही संख्या – 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
60	BR09PA-9781 (14.02.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1813, बेगूसराय से दरभंगा। भाया-बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासरय। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-09.11.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-23.02.27 प्रदूषण-16.02.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
61	BR08P-5752 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1813 डाउन, दरभंगा से बेगूसराय। भाया-लहेरियासरय, विशनपुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, मुशरीघरारी, दलसिंहसराय, बछवारा, टेघरा, एवं बरौनी जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
62	BR21P-9370 (31.10.2023) श्रीमती विमला देवी पति-स्व० परमानंद सिंह, पता-इसुआडीह, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761 डाउन, सरमेरा से बिहारशरीफ। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-14.09.26 फिटनेश-22.01.28 बीमा-14.09.26 प्रदूषण-17.11.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
63	BR01PS-1074 (22.05.2025) श्रीमती मोनी कुमारी, पति-श्री प्रतीक कुमार, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761, बिहारशरीफ से सरमेरा। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-14.11.26 फिटनेश-21.05.27 बीमा-20.05.27 प्रदूषण-21.05.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
64	BR21P-9562 (03.02.2024) श्री ओंकार कुमार, पिता-श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पता-पोझ मलवा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761 डाउन, सरमेरा से बिहारशरीफ। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-21.11.26 फिटनेश-12.03.28 बीमा-21.11.26 प्रदूषण-24.02.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।


अपर समाहर्ता सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यवाही संख्या – 04

अन्यान्य :-

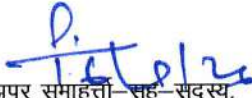
प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.08.2026 का लंबित प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन

क्र.सं.	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
65	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौदी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-08.08.26 फिटनेश-24.03.27 बीमा-11.12.26 प्रदूषण-25.09.25	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 के द्वारा मेरे संशोधित समय-सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय-सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है।


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने बिहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पेस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि०-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 02:59 के स्थान पर 02:57 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली
--	--	--	--	--	--


अपर समाहती-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
66	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। भाया-महिसौदी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-12.11.26 फिटनेश-29.07.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-23.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-6297 के द्वारा मेरे संशोधित समय-सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय-सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या	स्थायी समय-सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 अ दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(अ) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि०-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के
--	--	--	--	--


 अपर सहायक सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

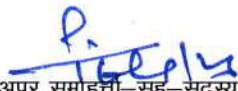

 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 02:53 के स्थान पर 02:51 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
67	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौदी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स-13.09.26 फिटनेश-24.04.27 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-25.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46B-5081 के द्वारा मेरे संशोधित समय-सारणी पर


अनूप कुमार-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

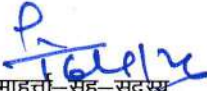

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अयमानना होगा। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा	आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय—सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय—सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय—सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय—सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय—सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया
--	--	--	---	--


 अपर समाहती-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

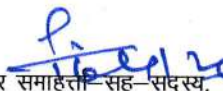

 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा	जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि0-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 13:48 के स्थान पर 13:46 एवं महिसौड़ी चौक में प्रस्थान समय 14:18 के स्थान पर 14:16 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
--	--	--	---	---


 अपर समाहता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

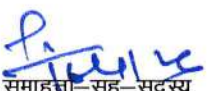

 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आभारी रहूंगा /	
68	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह,, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। भाया-महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स-16.10.26 फिटनेस-18.01.28 बीमा-16.01.27 प्रदूषण-28.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा अपने समर्पित आवेदन के माध्यम से आधार प्रस्तुत में उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 के द्वारा मेरे संशोधित समय-सारणी पर आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति एवं नवीकरण के समय ही किसी समय-सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अन्तर्गत पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय लागू नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का


अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले	निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के आधार पर पारित किया गया है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त परिवहन विभाग, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में काफी भिन्नता है। आपत्तिकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण तथा पैसेन्जर के हित में आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन किये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि0-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु मलेयपुर स्टेशन में प्रस्थान समय 13:10 के स्थान पर 13:08 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
--	--	--	--	---


अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	
69	BR21G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-03.04.27 फिटनेश-16.02.27 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-23.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौदी चौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-6297 के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय-सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

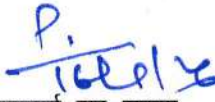

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के	आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्ता का मार्ग आवेदनकर्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि0-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का
--	--	--	--	---


 अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैंड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु महिसौदी चौक में प्रस्थान समय 09:05 के स्थान पर 09:15 एवं नवादा 3 नं० बस स्टैंड में प्रस्थान समय 16:00 के स्थान पर 15:53 करने पर मात्र 10 एवं 07 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
70	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3208 डाउन, नवादा से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-14.10.26 फिटनेश-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय-सारणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है।


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को	किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया
--	--	--	--	---


अपर समाहता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार काबू विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्ता का मार्ग आवेदनकर्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि०-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव सिकन्दरा में आगमन समय 14:59 के स्थान पर 14:53 एवं प्रस्थान समय 15:00 के स्थान पर 14:58 करने पर मात्र 06 एवं 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
--	--	--	---	---


 अपर समाहती-सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

71	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से जमुई। भाया-पकडीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-02.04.27 फिटनेस-02.04.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-22.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय-सारिणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारिणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारिणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है।
----	---	--	--	--	---


अपर सहायक-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने बिहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी।	वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 अ दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(अ) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्ता का मार्ग आवेदनकर्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन दिये हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि0-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने कि स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु नवादा में प्रस्थान समय 10:13 के स्थान पर 10:11 एवं सिकन्दरा में प्रस्थान समय 14:05 के स्थान पर 14:12 करने पर मात्र 02 एवं 07 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से
--	--	--	--	---


 अपर समाहता सह-सदस्य,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
72	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से महिसौदी चौक,जमुई। भाया-पकडीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-14.10.26 फिटनेश-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है, और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-25.08.2026 में प्राप्त परमिट में संशोधन हेतु आधार प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 के द्वारा आपत्ति लगाया गया कि परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय-सारिणी में संशोधन का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय-सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ नवीकरण के समय किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य 1973 पटना में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थायी समय-सारिणी में बदलाव की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमान् के द्वारा आवेदक को समय-सारिणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी


अपर समाहर्ता-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

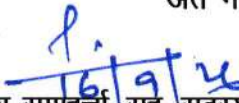
			न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त	निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी धारा एवं नियम का उल्लेख अपने आपत्ति आवेदन में नहीं किया है, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निर्गत परमिट में संशोधन का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में वर्णित धारा के अनुसार पारित किया गया है। सन् 1988 में पुराने मोटर वाहन अधिनियम को निरस्त कर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस परिस्थिति में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधान इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय धारा-48 (C) मोटर वाहन अधिनियम 1949 के अनुसार पारित किया गया है। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 का नियम 74 ज दिनांक-23.08.2024 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 74(ज) (1) में समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस 4000/- (चार हजार रुपये) है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट में संशोधन के उपरान्त परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परमिट में संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी के समय पर कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी है। आपत्तिकर्ता का मार्ग आवेदनकर्ता के मार्ग से भिन्न है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर का स्पष्ट निर्णय है कि मार्ग समान रहने पर आपत्ति स्वीकार किया जायेगा। आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न है। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता का उक्त मार्ग पर परमिट नहीं है। आवेदनकर्ता का वर्तमान समय-सारणी अलाभकर रहने के कारण आवेदनकर्ता संशोधित समय-सारणी का आवेदन दिये हैं।
--	--	--	--	---

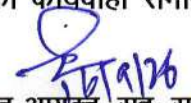
अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	विभागीय अधिसूचना संख्या :-9962, दि०-23.08.2024 की कंडिका 2 के ज (i) के अनुसार समय-सारणी में परिवर्तन /संशोधन हेतु रुपये 4000/- का शुल्क निर्धारित है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में कोई टकराव नहीं रहने एवं आवेदनकर्ता का वर्तमान समय अलाभकार होने के कारण एवं यात्रियों के व्यापक हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया जाता है। आवेदन-कर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। परन्तु सिकन्दरा में प्रस्थान समय 15:45 के स्थान पर 15:43 करने पर मात्र 02 मिनट का अन्तराल नहीं होने से किस प्रकार अलाभकारी हो रहा है। यह अगली बैठक में विस्तृत रूप से आवेदनकर्ता स्पष्ट करेंगे।
--	--	--	---	--

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

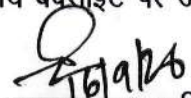

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :-सा०-०१-०१/ 2025.....461...../परि०, मुंगेर, दिनांक-16-09-2026

प्रतिलिपि :-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-श्री नीरज कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।